रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02082025-265150
CG-DL-W-02082025-265150

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 13—जुलाई 19, 2025, शनिवार/आषाढ़ 22—आषाढ़ 28, 1947
No. 24] NEW DELHI, JULY 13— JULY 19, 2025, SATURDAY/ASHADHA 22—ASHADHA 28, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, सहायक (समूह - 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त में होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक।	01*(2025)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 – 112400)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन के अधिकारी.- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव हो, जैसे कि:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या संगठन में पाँच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर या महानिरीक्षक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल - अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल -सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल -सदस्य। समूह 'ख', विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर या महानिरीक्षक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल - अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल -सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 1-13/2023-डीएम-I(एन)]

सरोज मेरी खाल्खो, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Civil Defence College, Nagpur, Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant, in the National Disaster Response Force Academy, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (*1*) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force Academy, Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6**. Saving. -**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant.	1*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 –112400).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion: The Departmental Upper Division Clerk with ten years regular service in the grade in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) and having successfully completed two to four weeks of pre-promotional training in relevant field or area as specified by the Department. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Armed Forces or Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Police Organisations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the present cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-

(i) Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute; (ii) five years experience in a Government office or organisation. **Note1.-**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for considered for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, National Disaster Response Force Academy Nagpur or Inspector General National Disaster Response Force – Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force -Member; 3. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Director, National Disaster Response Force Academy Nagpur or Inspector General, National Disaster Response Force – Chairperson; 2. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force –Member; 3. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 1-13/2023-DM-I(N)]

SAROJ MARY XALXO, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (कार्यपालक इंजीनियर) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (कार्यपालक इंजीनियर) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यपालक इंजीनियर	*01 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67,700-208700 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी जो; (क) (i) मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100 - 177500 रू.) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है; या (ii) पर्यवेक्षी की हैसियत से सिविल इंजीनियर के रूप में सात वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पण:-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:-**प्रतिनियुक्तिद्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 213/2/2015-ए.वी.डी-ll]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Departmental of Personal and Training)

New Delhi, the 10th July, 2025

G.S.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Executive Engineer) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Engineer in Central Bureau of Investigation under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation, Executive Engineer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and level in the pay matrix: -**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.: -** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: -** No person -

(a) who has entered into or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax: -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection or non- selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Executive Engineer.	01 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level–11 (Rs. 67,700-208700) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administration; (a) (i) holding analogous posts in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) (i) possessing a degree in Civil Engineering from a recognised university or institute;	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(ii) having seven years' experience as Civil Engineer in a supervisory capacity. **Note 1:** The Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 213/2/2015-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम (2019) को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र/अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) **लागू होना-** ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण औरउससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तरवह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ	07 (2025)* i. 03 पद ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ ii. 04 पद ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नजफगढ़ *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान क्षेत्र में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) भेषजी में डिप्लोमा; (3) भेषजी अधिनियम, (1948 के 18) के अधीन पंजीकृत भेषजज्ञ; और (4) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान। **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)/आमेलन द्वारा, जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)/आमेलन: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या निजी क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं;या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3**: केवल केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी ही आमेलन के लिए सुविचारित होंगे।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) मे निम्नलिखित होंगे- 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र - अध्यक्ष 2. अस्पताल या चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल – सदस्य; 3. उपनिदेशक (प्रशासन), जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य देख रहे हैं - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए.2-7(फार्मासिस्ट)/2023-आरएचटीसी]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th July, 2025

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Rural Health Training Centre/Hospital, Najafgarh, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, Pharmacist (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) **Application**– They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, **classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b). who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Pharmacist.	*07 (2025) (i) 03 posts for Rural Health Trainig Centre, Najafgarh (ii) 04 posts for Rural Health Trainig Centre Hospital, Najafgarh * Subject to variation	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	(i) 12th class pass with Science subjects from a recognised Board. (ii) Diploma in Pharmacy; (iii) Pharmacist registered under the Pharmacy Act, (18 of 1948); and (iv) Working knowledge in Hindi. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent

	dependent on workload.				**Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed	By deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or the State Government or Union territories or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions:-	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh -Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

	by the Central Government.		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the post in Level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3**: Only the Central Government or State Government employees shall be considered for absorption.	2.Hospital/ Medical Superintendent, Rural Health Training Centre Hospital– Member; 3. Deputy Director Administration, looking after the work of Rural Health Training Centre in Directorate General of Health Services –Member.	

[F. No. A. 2-7(Pharmacist)/2023-RHTC]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 97.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली में प्रयोगशाला परिचर (अस्पताल कर्मी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली, प्रयोगशाला परिचर (अस्पताल कर्मी), (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रयोगशाला परिचर (अस्पताल कर्मी)	03 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु. 19900-63200)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से जीवविज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण; और (2) सरकारी संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीक में एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**वांछनीय:-** मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रसाशन या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-1 (रु.18000 -56900/-) के पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) मे निम्नलिखित होंगे: 1. अस्पताल या चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल - अध्यक्ष; 2. विभागाध्यक्ष (संबंधित), ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संबंधित उप निदेशक - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जो स्तंभ संख्या 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण** 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** केवल केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी ही आमेलन के लिए सुविचारित होंगे।		

[फा. सं. ए.12015/02/2025-एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 7th July, 2025

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant (Hospital Worker) in the Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, Laboratory Attendant (Hospital Worker), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, −

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Attendant (Hospital Worker).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** (1) 12th class pass with Biology as one of the subject from a recognised Board; and (2) one year training certificate in laboratory techniques from a Government or recognised institute. **Desirable:** Diploma in Medical Laboratory Technology from recognised institute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (Including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or the State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-1 in pay matrix (Rs.18000 -56900/-) in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7) **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The Central Government or the State Government officers shall only be considered for absorption.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Hospital or Medical Superintendent, Rural Health Training Centre Hospital -Chairman; 2. Head of Department (concerned), Rural Health Training Centre Hospital -Member; 3. Deputy Director (concerned) in Directorate General of Health Services -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12015/02/2025-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 98.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता ।	आयु 30 वर्ष से अनधिक आयु (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख़ वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो तथा इसके साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; और (ii) हिन्दी से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम शामिल हैं, में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी – (क) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों, और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सहचारी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12034/113/2019-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group C Posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Junior Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer, in the Kalawati Saran Children's Hospital New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Junior Translation Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translation Officer.	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding Thirty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; **or** Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; **or** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; **or** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; **or** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English, as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; a**nd** (ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and *vice-versa* or two years' experience of translation work from Hindi to English and *vice versa* in the Central Government or the State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. **Note**: There shall be amandatoryinduction training of at least two weeks duration	By direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from	Not applicable.

	for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned) in Directorate General of Health Services -Member; Deputy Director (Administration) in Lady Hardinge Medical College and Associated Hospitals, New Delhi - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12034/113/2019-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सफदरजंग अस्पताल में ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट।	(09)* 2025 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियो की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: सफदरजंग अस्पताल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपये) में ऐसे फीजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा यथाविहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा अवधि एसे व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष होगी, जो अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद (फिजियोथेरेपिस्ट) धारण किए हुए है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना: i. अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य - अध्यक्ष; ii. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य ; iii. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; iv. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य. विभागीय पुष्टिकरण समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) की संरचना: i. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य; ii. अपर चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; iii. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11018/30/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Physiotherapist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications, level in the pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Physiotherapist	9* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Selection

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By promotion.	Promotion: Physiotherapist in Safdarjung Hospital in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade, and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of the post, as prescribed by the Ministry. **Note 1:** The eligibility service for promotion to the post of Senior Physiotherapist shall continue to be eight years for person holding the feeder post physiotherapist on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare - Member; 3. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Member; 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare - Chairman; 2. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.11018/30/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8जुलाई, 2025

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर सहायक, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन और वरिष्ठ थिएटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल,, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन	21* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	अचयन।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ विज्ञान में 12वीं पास; और (ii) शल्य चिकित्सा सुविधाओं वाले किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थियेटर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; या सर्जिकल सुविधाओं वाले किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थियेटर में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स; और (iii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा

						सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
नहीं।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के इस ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक,डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल -अध्यक्ष ; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 4 . उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक,डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

				2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन,डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 4 . उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/02/2023-एमएच lI]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of Operation Theatre Technician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Technician in the Ministry of Health and Family welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. -**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Operation Theatre Technician, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Operation Theatre Technician.	21* (2025) *Subject to variation	General Central Service,	Level-4 in the pay matrix (Rs.	Non-Selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for	(i) 12th pass in Science with Physics,

	dependent on workload.	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	25500-81100)		Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by th Staff Selection Commission.	Chemistry and Biology from a recognised Board; and (ii) Diploma in Operation Theatre course from a recognised hospital or institute or university having surgical facilities; or One year certificate course in Operation Theatre from a recognised hospital or institute or university having surgical facilities; and (iii) one year experience in the relevant field from a recognised Hospital, institute or university. **Note** : Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the

						requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption,grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
No.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Operation Theatre Assistant in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of.- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 4. Deputy Director (concerned) in	Not applicable

				Directorate General of Health Services -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of.- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 4. Deputy Director (concerned) in Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A. 11018/02/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 101.—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़दरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद), भर्ती नियमावली, नई दिल्ली, 1973, को, जहाँ तक उनका संबंध लेबोरेट्री तकनीशियन (ईईजी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रयोगशाला तकनीशियन (ईईजी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रयोगशाला तकनीशियन (ईईजी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण,और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद याअचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला तकनीशियन(ईईजी)।	13* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये)।	लागू नहीं होता ।	आयु 18 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी। ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से क्लीनिकल न्यूरो एलेक्ट्रो-फीजियोलॉजी और टेक्नॉलजी में विज्ञान में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम के दौरान न्यूरोक्लेक्टोफिजियोलॉजी लैब में कम से कम छह महीने की इंटर्नशिप सहित वोकेशन (मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी) में स्नातक, या (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक और न्यूरोइलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रयोगशाला, संस्थान या विश्वविद्यालय में एक वर्ष का अनुभव, या (iv) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से क्लिनिकल न्यूरोइलेक्ट्रो-फिजियोलॉजी और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; और एक वर्ष के लिए प्रयोगशाला में न्यूरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक उपकरण को संभालने का अनुभव। **टिप्पण-1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । **टिप्पण**: परिवीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग अथवा समतुल्य पद पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये/-) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 06 (छह) वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहितअर्हताएँ और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए): 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. उप- निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/11/2022-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of The Safdarjang Hospital (class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Laboratory Technician (EEG) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Technician (EEG) in the Safdarjung Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Laboratory Technician (EEG), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age -limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Laboratory Technician (EEG)	13* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Between 18 and 30 years of age. (Relaxable for Government servants up to the five years inaccordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Bachelor's Degree in Science in Clinical Neuroelectro-physiology and Technology from a recognised institution or University, or (ii) Bachelor of Vocation (Medical Electrophysiology) including at least six-month internship in Neuroclectrophysiology lab during the course from the recognised institution or University, or (iii) Bachelor of Technology in Electronics and electrical communications engineering and one year experience in Neuroelectrophysiology laboratory, institution or University, or (iv) Diploma in Clinical Neuroelectro-physiology and Technology from a recognised institution or University; and

						Experience in handling the Neurological Diagnostic equipment in a Laboratory for one year. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years **Note:** There shall be a	By deputation (including	Deputation (including short-term contract): Officers under the	Group 'B' Departmental confirmation	Consultation with the Union Public Service

	mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government	short-term contract) failing which by direct recruitment.	Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including short-termcontract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital – Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned) in Directorate General of Health Services– Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital– Member.	Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/11/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में ज्येष्ठ पर्फ्युज़निस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ पर्फ्युज़निस्ट (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

2. ये भर्ती नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ पर्फ्युज़निस्ट	05* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900 – 142400 रुपये)	चयन।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) के स्तर-6 में ऐसे कनिष्ठ पर्फ्युज़निस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह काअनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्फयूसन प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और किसी भी सक्रिय हृदय संबंधी केंद्र से दो वर्ष का अनुभव या	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; 2. . उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य; 3. उपनिदेशक (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्फयूसन प्रौद्योगिकी में दो वर्ष का स्नातकोतर डिप्लोमा, या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्फयूसन प्रौद्योगिकी में स्नातकोतर डिग्री। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन य़ा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

[फा. सं. ए.12018/03/2023-एम एच-2]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Perfusionist in the Safdarjung Hospital, Ministry of Health and Family Welfare, , New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Perfusionist (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Perfusionist.	05* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by Deputation (including short-term contract)	Promotion: Junior Perfusionist in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant field as prescribed by the Central Government. **Note :** Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next	Group 'B' Departmental promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairperson; 2. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; 3.Deputy Director (concerned), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions;- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of service rendered after appointment there to on regular basis in the level-6 (Rs. 35400-112400/-) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree in Perfusion Technology from a recognised University or institutions and two years' experience in any active cardiac Centre; or (ii) Two years' post Graduate Diploma in Perfusion Technology from recognised university or institution, or (iii) Masters' Degree in Perfusion Technology from a recognised university or institution. **Note 1:-** period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in		

			another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:-** The maximum age- limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. A.12018/03/2023-MH-2]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भर्ती नियम, 1983 को, जहां तक उनका संबंध सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पद), तथा डिमांड ट्रांसक्राइबर/पैकिंग सुपरवाइजर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने से लोप दिया गया हो मेडिकल स्टोर संगठन में पैकिंग सुपरवाइजर, समूह 'ग ' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, मेडिकल स्टोर्स संगठन, पैकिंग सुपरवाइजर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगें जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होगा।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएँ आदि**.— उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरहर्रता** .— यदि कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके लिखित रूप में दर्ज करके,, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**.— इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम.	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण.**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**	**चयनित पद या गैर चयनित पद .**	**सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा .**	**सीधी भर्ती के लिए अर्हक शिक्षा और अन्य योग्यताएं।**	**क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
पैकिंग पर्यवेक्षक	*16 (2025) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय.	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' गैर-राजपत्रित गैर-मंत्रालयी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु).	चयन	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। **नोट:-** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण .	जी नहीं

					और स्पीति जिले और पांगी उप-मंडल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी।		

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती हो या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।**	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है.**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?.**	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.**
9	10	11	12	13
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **नोट :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण होगा।.	पदोन्नति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। **नोट :** विभागीय योग्यता परीक्षा आयोजित करके डिपोवार आधार पर पदोन्नति की जाएगी।	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु.18000-56900) में लेवल-1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ मल्टी टास्किंग स्टाफ से पदोन्नति।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. उप सहायक महानिदेशक (मेडिकल स्टोर) – अध्यक्ष; 2. डिपो प्रबंधक/सहायक डिपो प्रबंधक – सदस्य; 3. लेखा अधिकारी – सदस्य; 4. स्टेशन पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय से कोई बाहरी अधिकारी – सदस्य। **नोट :** उप सहायक महानिदेशक (मेडिकल स्टोर) की अनुपस्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति का नेतृत्व डिपो प्रबंधक/सहायक डिपो प्रबंधक करेंगे और उस स्थिति में कार्यवाही अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को भेजी जाएगी।	लागू नहीं

[फा. सं. ए.12018/02/2020-St.I]

लवकेश सहगल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 2025

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and, in supersession of the Government Medical Stores Depots (Group 'C' & Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relates to post of Demand Transcriber/Packing Supervisor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Packing Supervisor, Group 'C' posts in the Medical Stores Organisation, Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:–

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Medical Stores Organisation, Packing Supervisor (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix: - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.: - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification: - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age - limit for direct recruits.**	**Education and other qualifications required for direct recruits .**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits would apply in the case of promotees.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Packing Supervisor	*16 (2025) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) .	Selection	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date	12th class pass from a recognised Board.	No

					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh and Union Territories of Ladakh, Andaman & Nichobar Islands and Lakshadweep.		

Period of probation, if any	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
9	**10**	**11**	**12**	**13**
Two Years for direct recruits. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion failing which direct recruitment. **Note :** Promotion be depot wise basis by holding Departmental qualifying test	Promotion: Promotion from Multi Tasking Staff with three years regular service in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of :- 1. Deputy Assistant Director General (Medical Store) – Chairman; 2. Depot Manager / Assistant Depot Manager – Member; 3. Account Officer – Member; 4. An outside Officer from the Central Government Office located at the Station – Member. **Note :** In the absence of Deputy Assistant Director General (Medical Store), the Departmental Promotion Committee shall be headed by Depot Manager/ Assistant Depot Manager and in that case the proceedings shall be sent to Directorate General of Health Services for approval.	Not applicable

[F. No. A.12018/02/2020-St.I]

LAVKESH SEHGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (हेमोडायलिसिस तकनीशियन), समूह 'ग', भर्ती नियम, 2020 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में हेमोडायलिसिस तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, हेमोडायलिसिस तकनीशियन (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हेमोडायलिसिस तकनीशियन	4* (2025)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(25500-81100 रुपये)	होता।	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।	डायलिसिस प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; या (ब) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से डायलिसिस टेक्नोलॉजी में दो साल का नियमित डिप्लोमा और डिप्लोमा पूरा होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थान या अस्पताल में डायलिसिस तकनीशियन के रूप में कम से कम छह महीने का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं,अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु दो वर्ष **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

	विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।		(क) (i) जो मूल काडर में या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500- 81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** केवल केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी को आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल –अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक (सम्बंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाल, -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/11/2017-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 2025

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Hemodialysis Technician), Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hemodialysis Technician in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Hemodialysis Technician (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Hemodialysis Technician.	04* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxble for the departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central government). **Note:** The crucial date for	(a) Bachelor Degree in Dialysis Technology from a recognised University or Institute; or (b) two years regular Diploma in Dialysis Technology from a recognised institute or Board or council with atleast six months experience as Dialysis Technician in a recognised Medical institute or hospital after completion of Diploma. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

					determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifica-tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful	By deputation (including short term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract)/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on	Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

	completion of probation as prescribed by the Central Government.		regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 of the pay matrix (Rs. 21700-69100) in the parent cadre or department or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The Central or State Government officers shall only be considered for absorption.	Children's Hospital –Chairperson; 2. Head of the Department (Concerned), Kalawati Saran Children's Hospital -Member; 3. Deputy Director (Concerned), in Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A.12018/11/2017-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, मुंबई (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1992 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला परिचर, चपरासी तथा सफ़ाईवाला के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, मुंबई केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में बहु कार्य कर्मचारी वृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, बहु कार्य कर्मचारी वृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सलंग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति. –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यवृत्ति –** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पदों की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन या अचयन पद ।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
बहु कार्य कर्मचारी वृन्द	12 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रुपये 18000 – 56900)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	**(7)**
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। **टिप्पण 1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशो या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए ऊपरी आयु सीमा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक परिचयात्मक प्रशिक्षण पूरा करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों मे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. निदेशक, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई – अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई या उप औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन (औषध), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12018/01/2025-डीआर]

विवेक नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 10th July, 2025

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Laboratory, Bombay (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules 1992, in so far as they relate to the posts of Laboratory Attendant, Peon and Safaiwala, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai, Central Drugs Standard Control Organisation, under the Directorate General of Health Services, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Multi-Tasking Staff, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Multi Tasking Staff.	*12 (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay-matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. **Note** 1: The upper age-limit is relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
10th class pass from a recognised Board. **Note1:** The Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotions or by deputation/ absorption, grades from which promotions or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis for Officers of the Central Government.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai – Chairperson; 2. Deputy Director Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai or Deputy Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation – Member; 3. Deputy Director Administration, Central Drugs Standard Control Organisation –Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/01/2025-DR]

VIVEK NARAYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली भर्ती नियम, 1966 को, जहां तक वे सहायक तकनीकी अधिकारी के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक तकनीकी अधिकारी, समूह 'ख', अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सहायक तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम,2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा,शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक तकनीकी अधिकारी	35* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है **टिप्पण 2**: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**आवश्यक:** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या इम्यूनोलॉजी में विज्ञान स्नातक या बायोटेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिकी स्नातक। **टिप्पण 1**: अर्हताएं अन्यथा योग्य सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार लेखबद्ध करके

		शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव के संबंध में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यार्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-विहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	1. 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 2. 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति:- स्तर-5 (रु. 29200-92300) में संस्थान के प्रयोगशाला तकनीशियन जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने कंप्यूटर अनुप्रयोग और वर्तमान अच्छे विनिर्माण अभ्यास में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा दी गई अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी/पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (i) सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; (ii) उप सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; (iii) प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; और (iv) सैन्य अस्पताल, कसौली के कमांडिंग ऑफिसर -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: - (i) सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; (ii) उप सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – सदस्य; (iii) प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – सदस्य; और (iv) सैन्य अस्पताल, कसौली के कमांडिंग ऑफिसर - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.-12018/03/2014-ई.पी.आई]

राजेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, Recruitment Rules,1966, in so far as they relate to the post of Assistant Technical Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Technical Officer, Group 'B', Non-Gazetted, in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Assistant Technical Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of the recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Technical Officer.	35* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400).

Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection Post.	Not exceeding thirty years **Note 1:** Relaxable for govt servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential : 1. Bachelor of Science in Microbiology or Biotechnology or Immunology or Bachelor of Technology in Biotechnology from a recognised university or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks for successful completion of the	1.seventy-five percent by direct recruitment. 2. twenty-five percent by promotion.	Promotion:- Laboratory Technicians in Level-5 (Rs. 29200-92300) in the Central Research Institute with six years' regular service in the grade and having successfully completed two

	probation period as prescribed by the Central Government.		weeks training in computer application and current good manufacturing practice. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Chairperson; (ii) Deputy Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member; (iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member; and (iv) Commanding Officer of Military Hospital, Kasauli -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli -Chairperson; (ii) Deputy Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli – Member; (iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli – Member; and (iv) Commanding Officer of Military Hospital, Kasauli - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/03/2014-EPI]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.02 09:26:17 +05'30'